वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

आरा - 802301 (बिहार)

Ph. & Fax : 06182 - 239209

पत्रांक DSW/147/2020 दिनांक 14.10.2020

सूचना

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के अन्तर्गत अंगीभूत/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य/प्राचार्या निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दे:-

1. स्नातक भाग-I, (सत्र 2020-23) कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में जिन छात्रों का नामांकन आपके महाविद्यालय में हुआ है उनका सभी आवश्क कागजातों की जाँच 15.10.2020 तक अवश्य कर लें।
2. नामांकित वैसे छात्र जिनके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति तथा लिंग आदि में किसी प्रकार की यदि त्रुटि है तो उनसे आवेदन लेकर एवं उनके कागजातों के सत्यापन के आधार पर एक सूची बनायी जाय।
3. विश्वविद्यालय ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकित विद्यार्थी के विषयों के चयन की जाँच विश्वविद्यालय नामांकन अधिनियम के अनुसार की जाय और अगर किसी भी विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय नियम/परिनियम के विरूद्ध हुआ है तो उनके कागजातों के सत्यापन के आधार पर एक अलग सूची बनाई जाय। उस सूची में यह भी उल्लेखित होगा कि वैसे छात्रों को विश्वविद्यालय नामांकन अधिनियम के अनुसार कौन सा विषय दिया जा सकता है। नामांकित छात्रों से संबंधित सभी कागजातों का सत्यापन उनके मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाय ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न हो।
4. विद्यार्थियों के नामांकन के समय ही उनका पंजीयन भी हो जाता है इसलिए सभी प्राचार्य/प्राचार्यों से आग्रह है कि विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय नियम-परिनियम के अनुसार हुआ है कि नहीं, इसकी जाँच गहनता से करें।
5. विद्यार्थियों के नामांकन की सारी जबावदेही संबंधित प्रधानाचार्यों की है एवं भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नियम विरूद्ध नामांकन की सारी जबावदेही उस महाविद्यालय की होगी।
6. सभी महाविद्यालय उपरोक्त सभी बिन्दुओं को गहराई से जाँच कर सुधार हेतू आवेदन विश्वविद्यालय में दिनांक 25.12.2020 तक अवश्य जमा कर देंगे ताकि 15 जनवरी 2021 से पहले नामांकित छात्रों का पंजीयन रसीद महाविद्यालयों का उपलब्ध कराया जा सके।
7. छात्र हित में ससमय कार्यो का सम्पादित किया जाए।

14.10.2020

अध्यक्ष, छात्र कल्याण

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा